पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

मिलावटखोरों पर एफएसडीए का प्रहार, दीपावली से पहले 54 क्विंटल खाद्य पदार्थ जब्त

'शुद्ध ही शुभ है' अभियान के तहत त्योहारों पर शुद्धता और सुरक्षित खानपान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में तेज हुई कार्रवाई

1,133 स्थानों पर छापेमारी, 935 खाद्य नमूने लिए गए, 27 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

1.32 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त, बरेली–मुरादाबाद में 32 सचल दलों ने की विशेष कार्रवाई

मिठाई की दुकानों से लेकर निर्माण इकाइयों और गोदामों तक निगरानी, अस्थायी दुकानों पर भी विभाग की नजर

सुधार योग्य कमियों पर नोटिस, गंभीर अनियमितताओं और मिलावट पर सख्त कार्रवाई

लखनऊ : 03 नवम्बर, 2026

दीपावली और भाई दूज के त्योहार पर आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान के तहत प्रदेशभर में मिठाई निर्माण इकाइयों, दुकानों, गोदामों और खाद्य पदार्थों के भंडारण एवं बिक्री केंद्रों पर सघन छापेमारी और निरीक्षण किए जा रहे हैं। अब तक 1,133 स्थानों पर निरीक्षण कर 935 खाद्य नमूने लिए गए हैं। गंभीर अनियमितताओं के चलते 27 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। वहीं, लगभग 54 क्विंटल खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.32 करोड़ रुपये है।

त्योहारों की खुशियों में मिलावट की जगह नहीं

योगी सरकार का 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और उपभोक्ता स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की व्यापक पहल है। दीपावली पर मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग ने निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई तेज की है। इसके तहत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण स्थलों की स्वच्छता, कच्चे माल की शुद्धता और सुरक्षित भंडारण व्यवस्था की जांच की जा रही है, ताकि त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो।

बरेली और मुरादाबाद में 32 सचल दलों ने चलाया विशेष अभियान

अभियान के तहत बरेली और मुरादाबाद में 32 खाद्य सचल दलों ने विशेष जांच एवं प्रवर्तन कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त कासगंज, इटावा, हमीरपुर, महोबा, कुशीनगर और शाहजहांपुर में अंतर्जनपदीय टीमों ने भी खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान 98 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 112 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। अनियमितताएं मिलने पर 78

प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए। पांच इकाइयों के लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि बिना लाइसेंस संचालित एक इकाई का कारोबार बंद करा दिया गया।

कहीं गंदगी में बन रही थीं मिठाइयां, तो कहीं मिले फफूंद लगे खाद्य पदार्थ

निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई। बरेली के सुभाष नगर स्थित न्यू बाजपेई स्वीट्स की निर्माणशाला में अत्यधिक गंदगी पाई गई। भट्ठी के पास ही शौचालय संचालित था। फर्श टूटी हुई थी और परिसर में गंदा पानी जमा था। इन गंभीर कमियों के चलते प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। बरेली के कैलाशपुरी स्थित धीरज स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी में पुराना एवं फफूंद लगा घेवर मिला। यहां अस्वच्छ परिस्थितियों में मिठाइयों का निर्माण किया जा रहा था। इस प्रतिष्ठान का भी लाइसेंस निलंबित किया गया।

मुरादाबाद में एक्सपायरी सामग्री और अखाद्य रंगों का इस्तेमाल उजागर

मुरादाबाद में ढकिया, डिलारी के पास स्थित हुकूमत मिल्क केक की रसगुल्ला निर्माण इकाई में असुरक्षित परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। खाद्य सामग्री संदूषित अवस्था में बिखरी मिली। इस पर इकाई का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। इसी तरह कोहिनूर तिराहे के पास स्थित मदनी स्वीट्स में एक्सपायरी खाद्य सामग्री का इस्तेमाल, चूहों की गंदगी और अखाद्य रंगों के प्रयोग जैसी गंभीर कमियां पाई गईं। जल निकासी की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं थी। इन अनियमितताओं के चलते प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित किया गया। वहीं, मुरादाबाद की बड़ी सब्जी मंडी के पास स्थित बीना मिष्ठान भंडार बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित पाया गया। यहां चूहों का प्रकोप और गंदगी भी मिली। विभाग ने प्रतिष्ठान का कारोबार बंद करा दिया। कासगंज के पवन स्वीट्स में भी गंदगी और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की गई।

निर्माण से बिक्री तक निगरानी, अस्थायी दुकानों पर भी विशेष नजर

'शुद्ध ही शुभ है' अभियान के तहत विभाग की निगरानी खाद्य पदार्थों की पूरी आपूर्ति शृंखला पर केंद्रित है। निर्माण, परिवहन और भंडारण से लेकर खुदरा बिक्री तक खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। अधिकारियों को कच्चे माल की गुणवत्ता, निर्माण स्थलों की साफ–सफाई, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले रंगों एवं अन्य खाद्य योजकों की अनुमन्य मात्रा की भी जांच की जा रही है। प्रतिबंधित रसायनों और अखाद्य रंगों के इस्तेमाल पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही मिठाइयों की गुणवत्ता, उनकी वैधता अवधि और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक जानकारी की भी पड़ताल की जा रही है।

विभाग की विशेष नजर उन दुकानों पर भी है, जो केवल त्योहारों के अवसर पर अस्थायी रूप से संचालित होती हैं। खाद्य सुरक्षा टीमें ऐसी दुकानों पर पहुंचकर मिठाइयों की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों की जांच कर रही हैं। गोदामों और भंडारण केंद्रों को भी अभियान के दायरे में रखा गया है।

सुधार का अवसर भी, गंभीर मामलों में कठोर कार्रवाई

एफएसडीए ने अधिकारियों को छोटे और खुदरा खाद्य कारोबारियों का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य एवं सुधार योग्य कमियां मिलने पर कारोबारियों को नोटिस जारी कर व्यवस्था दुरुस्त करने का अवसर दिया जा रहा है। वहीं, मिलावट, प्रतिबंधित रसायनों एवं अखाद्य रंगों के इस्तेमाल, गंभीर स्वच्छता संबंधी लापरवाही और बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। विभाग के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान का उद्देश्य कारोबारियों का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि आमजन तक शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंचाना है। सुधार योग्य कमियों पर कारोबारियों को व्यवस्था ठीक करने का अवसर दिया जा रहा है, जबकि गंभीर अनियमितताओं और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सम्पर्क सूत्र– आशिया खातून

राम यतन / 05:40 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in